



No. /AcaCell/Grievance/2021

Gwalior, Date : 01 November, 2021

मध्य प्रदेश जनसुनवाई योजना 2021

मध्य प्रदेश जनसुनवाई योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने लोगों को किसी भी तरह की होने वाली परेशानियों से मुक्त करने के लिए की गयी है। इस योजना के तहत राज्य के नागरिकों को कोई समस्या है तो उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब राज्य के लोग अपनी शिकायत मुख्यमंत्री तक ऑनलाइन माध्यम से पहुंचा (Now the people of the state can reach the Chief Minister through their online complaint) सकते हैं। फिर राज्य सरकार द्वारा आप की समस्या का समाधान (Solution to Problem) किया जायेगा।

मध्य प्रदेश जनसुनवाई योजना के अंतर्गत खास तौर पर राज्य के लोग अपनी शिकायत घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। राज्य के जो लोग मध्य प्रदेश जनसुनवाई योजना के तहत अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाना चाहते हैं, तो वह जनसुनवाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब लोग इस योजना के माध्यम से अपनी शिकायत एवं सुझाव जन सुनवाई योजना के तहत सीधे ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक साझा (Your Complaints and Suggestions are Shared Directly to the Chief Minister Under the Public Hearing Scheme) कर सकते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री लोगों की शिकायत पर अपने विचार व्यक्त करेंगे।

मध्य प्रदेश जनसुनवाई योजना 2021 का उद्देश्य :

मध्यप्रदेश जिन नागरिकों की शिकायत उच्च पद पर बैठे अधिकारी नहीं सुनते हैं और उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनकी सुनवाई के लिए तथा इन लोगों के हित के लिए राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश जनसुनवाई योजना को आरम्भ किया गया है। इस योजना के ज़रिये राज्य के लोग अपनी समस्या की शिकायत सीधे ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा कर सकते हैं और राज्य सरकार आपकी समस्या का समाधान करके आप तक पहुंचा देगी। इस योजना के ज़रिये राज्य के लोगो को राज्य सरकार द्वारा त्वरित समाधान दिलाया जायेगा।

<http://dic.mp.nic.in/panna/appmonitor/#>